भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3765
जिसका उत्तर मंगलवार, 16 जुलाई, 2019 को दिया जाना है

हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स विनिर्माण कंपनी लिमिटेड

3765. श्री ए. राजा:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) ऊटी स्थित सार्वजनिक क्षेत्र इकाई हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स विनिर्माण कंपनी लिमिटेड की मौजूदा स्थिति क्या है;

(ख) वीआरएस का विकल्प प्रदत्त कर्मचारियों की संख्या और वीआरएस लेने वाले कर्मचारियों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ग) वीआरएस हेतु स्वीकृत राशि और अभी तक खर्च हुई राशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) वर्तमान में इस कंपनी में मौजूद कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इस कंपनी के कर्मचारियों को कुछ अवधि के लिए वेतन देने से मना कर दिया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(छ) क्या प्रबंधन ने प्रत्येक कर्मचारी से उन्हें प्रदत्त पुनर्भुगतान किए जाने वाला मासिक भत्ता और विशेष प्रदर्शन भत्ता वापस ले लिया है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री
(श्री अरविंद गणपत सावंत)

(क): माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने दिनांक 29.08.2016 को कंपनी के परिसमापन के आदेश को बरकरार रखा। सरकारी परिसमापक को अभी कार्यभार ग्रहण करना है।

(ख): एचपीएफ के सभी कर्मचारियों को वीआरएस पर कार्यमुक्त कर दिया गया।

(ग): वीआरएस के लिए अनुमानित राशि ₹181.54 करोड़ थी और अब तक वीआरएस पर खर्च की गई राशि ₹147.46 करोड़ है।

(घ): एचपीएफ के सभी कर्मचारियों को वीआरएस पर कार्यमुक्त कर दिया गया।

(ङ) और (च): आदेशों और दिशा-निदेशों के अनुपालन में दिनांक 30.06.2016 तक सभी भूतपूर्व कर्मचारियों को वेतन का भुगतान कर दिया गया था।

(छ) और (ज): सीसीईए के निर्णय के अनुसार, लोक उद्यम विभाग के दिशा-निदेशों की तुलना में पूर्व में कर्मचारियों को दिए गए प्राप्य/समायोज्य अग्रिम/विशेष कार्य-निष्पादन भत्तों के बकाया की वसूली प्रत्येक भूतपूर्व कर्मचारी के वीआरएस भुगतान से की गई।

*****